FRAMING THE NATIONAL BROADCASTING POLICY

Evolving a National Broadcasting Policy which is uniform, transparent and able to address the various loopholes and find effective solutions is the need of the hour.

Ministry of Information and Broadcasting (MIB) vide its letter dated 13th July 2023, inter-alia, informed that they are in the process of formulating a National Broadcasting Policy. They have mentioned that the consultations with stakeholder Ministries have been carried out. The Broadcast Policy needs to identify the Vision of a functional, vibrant, and resilient broadcasting sector which can project India's diverse culture and rich heritage and help India's transition to a digital and empowered economy. National Broadcasting Policy stipulating the vision, mission, strategies, and the action points could set the tone for a planned development and growth of the Broadcasting sector in the country in the era of new and emerging technologies. Through the said letter dated 13th July 2023, MIB has requested TRAI to give it's considered inputs under Section 11 of the TRAI Act, 1997 for formulation of the National Broadcasting Policy.

INDIAN BROADCASTING SECTOR

As per the industry report, Indian Media and Entertainment (M&E) sector grew 19.9% in 2022 to reach Rs. 2.1 trillion from Rs. 1.75 trillion in 2021 and is expected to reach Rs. 2.83 trillion in 2025 with a CAGR of 10%. Television is one of the largest and fastest growing segments of M&E sector. It represents around 35% of the total M&E revenue. Even though television remains the largest segment, digital media has seen phenomenal growth with a 27% growth in digital subscriptions in 2022. The potential of the new technologies in the sector can be inferred from the fact that in 2022, animation and VFX was the fastest growing sector with a staggering 29% growth.

राष्ट्रीय प्रसारण नीति तैयार करना

एक ऐसी राष्ट्रीय प्रसारण नीति तैयार करना जो एक समान, पारदर्शी हो और विभिन्न खामियों को दूर करने और प्रभावी समाधान खोजने में सक्षम हो, समय की मांग है।

परिचय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने पत्र दिनांक **13** जुलाई **2023** के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया कि वे एक राष्ट्रीय प्रसारण नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि हितधारक मंत्रालयों के साथ परामर्श किया गया है। प्रसारण नीति को एक कार्यात्मक, जीवंत और लचीले प्रसारण क्षेत्र के दृष्टिकोण की पहचान करने की आवश्यकता है जो भारत की विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत को पेश कर सके और भारत को डिजिटल और सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद कर सके। दृष्टि, मिशन, रणनीतियों और कार्य बिंदुओं को निर्धारित करने वाली राष्ट्रीय प्रसारण नीति नयी और उभरती तकनीकियों के युग में देश में प्रसारण क्षेत्र के नियोजित विकास और विकास के लिए रास्ता तय कर सकती है। **13** जुलाई **2023** के उक्त पत्र के माध्यम से, एमआईबी ने ट्राई से राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए ट्राई अधिनियम, **1997** की धारा **11** के तहत अपने सुविचारित इनपुट देने का अनुरोध किया है।

भारतीय प्रसारण क्षेत्र

उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन (एमएंडई) क्षेत्र **2022** में **19.9%** बढ़कर **2021** में **1.75** ट्रिलियन रुपये से **2.1** ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया और **10%** की सीएजीआर के साथ **2025** में **2.83** ट्रिलियन रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। टेलीविजन एम एंड ई क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यह कुल एम एंड ई राजस्व का लगभग **35%** प्रतिनिधित्व करता है। भले ही टेलीविजन सबसे बड़ा खंड बना हुआ है, डिजिटल मीडिया ने **2022** में डिजिटल सब्सक्रीप्शन में **27%** की वृद्धि के साथ अभूतपूर्व वृद्धि देखी

The broadcasting sector consists of television and radio services. The television services are delivered through cable TV, Direct-To-Home (DTH), Headend In The Sky (HITS) and Internet Protocol Television (IPTV) services. As per the industry report, the TV universe consists of approximately 64 million cable TV households, 2 million HITS subscribers. In addition, as reported by the pay DTH operators to TRAI, there were 65.25 million pay DTH total active subscribers as on 31.03.2023. Further, reported subscriber base by the IPTV Operators was 6,47,596 as on 31.03.2023.

The TV broadcasting sector encompasses approximately 332 broadcasters providing 903 private satellite TV channels as on 31.03.2023. These television channels include 254 SD pay TV channels and 104 HD Pay TV channels provided by 43 Pay television broadcasters. Currently, there are 1748 (Multi System Operators (MSOs) registered with MIB, 1 HITS operator, 4 pay DTH operators and 25 IPTV operators. Further, as per the information provided by MIB, there are 81,706 cable operators registered in the country.

Prasar Bharati is the Public Service Broadcaster in India which operates radio network-All India Radio (Akashvani) & Television Network (Doordarshan). At present, Doordarshan broadcasts 36 satellite TV channels which includes 7 national channels, 28 regional channels and 1 international channel (DD India). Prasar Bharati also operates DD Free Dish, the only Free-to-Air (FTA) DTH Service which is the largest distributed DTH platform in India. DD Free Dish reaches to millions (~45 million as per industry1 estimates) of people especially in rural, remote, inaccessible and border areas having low income and is used as a tool not only for entertainment but also for promoting education, health, and agriculture.

India's television industry stands at Rs 70,900 crores in the year 2022 as compared to Rs 72,000 crore in the year 2021, thereby registering a decline of around 1.5%. Subscription revenues account for a major share of the overall industry revenue.

Radio is a popular means for mass communication, owing largely, to its wide coverage, portability, low set-up cost and affordability. In India, Radio coverage is available in the Short-wave (SW) and Medium-wave (MW) bands in the Amplitude Modulation (AM) mode and also Frequency

है। इस क्षेत्र में नयी तकनीकियों की क्षमता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि **2022** में एनीमेशन और वीएफएक्स **29%** की आश्चर्य जनक वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र था।

प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवायें शामिल हैं। टेलीविजन सेवायें केवल टीवी, डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के माध्यम से वितरित की जाती है। उद्योग रिपोर्ट के अनुसार टीवी जगत में लगभग **64** मिलियन केबल टीवी परिवार, **2** मिलियन हिट्स ग्राहक शामिल हैं। इसके अलावा, जैसाकि ट्राई को पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बताया गया है, **31.03.2023** तक कुल **65.25** मिलियन पे डीटीएच सक्रिय ग्राहक थे। इसके अलावा, आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा सूचित ग्राहक आधार **31.03.2023** तक **6,47,596** था।

टीवी प्रसारण क्षेत्र में, **31.03.2023** तक **903** निजी सैटेलाइट टीवी चैनल उपलब्ध कराने वाले लगभग **332** प्रसारक शामिल हैं। इन टेलीविजन चैनलों में **43** पे टेलीविजन प्रसारकों द्वारा प्रदान किये गये **254** एसडी पे टीवी चैनल और **104** एचडी पे टीवी चैनल शामिल है। वर्तमान में एमआईबी के साथ **1748** एमएसओ (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर) पंजीकृत हैं, **1** हिट्स ऑपरेटर, **4** डीटीएच ऑपरेटर और **25** आईपीटीवी ऑपरेटर हैं। इसके अलावा एमआईबी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार देश में **81,706** केबल ऑपरेटर पंजीकृत हैं।

प्रसार भारती भारत में सार्वजनिक सेवा प्रसारक है जो रेडियो नेटवर्क -ऑल इंडिया रेडियो (आकाश्वाणी) और टेलीविजन नेटवर्क (दूरदर्शन) संचालित करता है। वर्तमान में दूरदर्शन **36** सैटेलाइट टीवी चैनल प्रसारित करता है, जिसमें **7** राष्ट्रीय चैनल, **28** क्षेत्रीय चैनल और **1** अंतरराष्ट्रीय चैनल (डीडी इंडिया) शामिल है। प्रसार भारती एकमात्र फ्री-टू-एयर (एफटीए) डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश भी संचालित करता है जो कि भारत में सबसे बड़ा वितरित डीटीएच प्लेटफॉर्म है। डीडी फ्री डिश विशेष रूप से कम आय वाले ग्रामीण, दूरदराज, दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में लाखों (उद्योग के अनुमान के अनुसार **45** मिलियन) लोगों तक पहुंचता है और इसका उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी एक उपकरण के रूप में किया जाता है।

भारत का टेलीविजन उद्योग **2021** में **72,000** करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष **2022** में **70,900** करोड़ रुपये का है, इस प्रकार लगभग **1.5%** की गिरावट दर्ज की गयी है। सब्सक्रीप्शन राजस्व समग्र उद्योग राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है।

रेडियो व्यापक कवरेज, पोर्टेबिलिटी, कम सेटअप लागत और सामर्थ्य के कारण बड़े पैमाने पर संचार का लोकप्रिय साधन है। भारत में रेडियो कवरेज शॉर्ट वेव (एसडब्लू) और मीडियम वेव (एमडब्लू) बैंड में

Modulation (FM) mode. Today, FM Radio broadcasting is the most popular and pervasive medium to provide entertainment, information and education to the masses. As reported by the private FM Radio broadcasters to TRAI, there were 388 private FM radio stations operational as on 31st March 2023, besides the public service broadcaster- All India Radio (AIR).

All India Radio - India's Public Service Broadcaster, the Radio vertical of Prasar Bharati, has been serving to inform, educate and entertain its audiences since its inception. One of the largest broadcasting organisations in the world in terms of the number of languages of broadcast, the spectrum of socio-economic and cultural diversity it serves, AIR's service comprises 479 stations located across the country, reaching nearly 92% of the country's area and 99.19% of the total population. AIR originates programming in 23 languages and 179 dialects.

Regarding Community Radio Stations, as per the information provided by the MIB, out of the 571 licenses issued as on 31st March 2023 for the setup of such stations, 427 community radio stations were become operational.

TELECOM POLICIES IN INDIA

Recognizing that provision of world class telecommunications infrastructure is the key to rapid socio-economic growth of the country, the Government has been announcing its telecom policy statements on a regular interval since the onset of market liberalization in the country in the early 1990s. In effect, post-liberalization, the Indian telecom sector has been shaped by the following policy statements viz.

(a) National Telecom Policy, 1994,
(b) New Telecom Policy, 1999
(c) Broadband Policy, 2004
(d) National Telecom Policy, 2012
(e) National Digital Communications Policy - 2018

Telecom Sector has seen an unprecedented growth since the announcement of first Telecom Policy in 1994. It is widely believed that the Telecom policies have acted as a catalyst for enabling such growth.

TRAI has provided important inputs for Telecom Policies from time-totime, especially for the 'Digital Communication Policy 2018'. Similarly, on reference from MIB, TRAI is undertaking this pre-consultation for National Broadcasting Policy. The pre-consultation will be followed

एम्प्लिटयूड मॉडुलेशन (एएम) मोड और फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। आज एफएम रेडियो प्रसारण जनता को मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय और व्यापक माध्यम है। जैसाकि निजी एफएम रेडियो प्रसारकों ने ट्राई को बताया है, सार्व जनिक सेवा प्रसारक -ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अलावा **31** मार्च **2023** तक **338** निजी एफएम रेडियो स्टेशन चालू थे।

ऑल इंडिया रेडियो-भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती का रेडियो वर्टिकल, अपनी स्थापना के बाद से अपने दर्शकों को सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने की सेवा कर रहा है। प्रसारण की भाषाओं की संख्या, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के स्पेक्ट्रम के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसाररण संगठनों में से एक, एआईआर की सेवा में देशभर में स्थित **479** स्टेशन शामिल हैं, जो देश के लगभग **92%** क्षेत्र तक पहुंचते हैं और कुल जनसंख्या का **99 .19%** तक पहुंचती है। एआईआर **23** भाषाओं में और **179** बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में, एमआईबी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए **31** मार्च **2023** तक जारी किये गये **571** लाइसेंसों में से **427** सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हो गये थे।

भारत में दूरसंचार नीतियां

यह मानते हुए कि विश्व स्तरीय दूरसंचार बुनियादी ढ़ांचे का प्रावधान देश के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास की कुंजी है, सरकार **1990** के दशक की शुरूआत में देश में बाजार उदारीकरण की शुरूआत के बाद से नियमित अंतराल पर अपनी दूरसंचार नीति वक्तव्यों की घोषणा करती रही है। वास्तव में, उदारीकरण के बाद, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को निम्नलिखित नीति वक्तव्यों द्वारा आकार दिया गया हैः

(ए) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, **1994**
(बी) नयी दूरसंचार नीति, **1999**
(सी) ब्रॉडबैंड नीति, **2004**
(डी) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, **2012**
(ई) राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, **2018**

1994 में पहली दूरसंचार नीति की घोषणा के बाद से दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि दूरसंचार नीतियों ने इस तरह के विकास को सक्षम करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। ट्राई ने समय-समय पर दूरसंचार नीतियों, विशेषकर डिजिटल संचार नीति **2018** के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किये हैं। इसी तरह, एमआईबी के संदर्भ पर ट्राई, राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए पूर्व परामर्श

by stakeholder interactions with various associations, industry groups and policy research organizations.

Similar to Telecom Sector, Broadcasting sector is also undergoing unprecedented changes due to evolving technologies. Moreover, there are social or behavioral changes in viewing patterns and viewers way of consuming entertainment. A policy can provide a channelized approach for sector and provide appropriate impetus for development. A comprehensive National Broadcasting Policy will enable planned development and enable further growth of the Broadcasting sector in India.

NATIONAL BROADCASTING POLICY

MIB has accordingly sought inputs of TRAI. The broadcasting sector is governed by service specific Act, Rules and Guidelines for various licence/ registration/ permission issued from time to time. The policy may provide a common approach for licenses, oversight, and compliances. This pre-consultation is proposed to elicit the comments on issues required to be considered while formulating the "National Broadcasting Policy".

STRUCTURE OF POLICY FRAMEWORK

In line with the existing National Digital Communications Policy – 2018, the possible structure of "National Broadcasting Policy" may be as follows:

- Preamble
- Vision
- Mission
- Objectives
  - Goals
  - Strategies

Against each objective, possible goals and the probable strategies for achieving those goals needs to be identified.

BROADCASTING:

The policy requires to address the Broadcasting sector in a comprehensive manner. It should deal with all the aspects related to content certation, content delivery/ distribution, assimilation, introduction of new technologies and role of different institutions for the growth of sector. It has to appropriately look into aspects of capacity building,

कर रहा है। पूर्व परामर्श के बाद विभिन्न संघों, उद्योग समूहों और नीति अनुसंधान संगठनों के साथ हितधारकों की बातचीत होगी।

दूरसंचार क्षेत्र के समान, प्रसारण क्षेत्र भी विकसित प्रौद्योगिकियों के कारण अभूतपूर्व परिवर्तनों से गुजर रहा है। इसके अलावा दर्शकों के देखने के तरीके और मनोरंजन का उपभोग करने के तरीके में सामाजिक या व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। एक नीति क्षेत्र के लिए एक चैनलीकृत दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है और विकास के लिए उचित प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। एक व्यापक राष्ट्रीय प्रसारण नीति योजनाबद्ध विकास को सक्षम बनायेगी और भारत में प्रसारण क्षेत्र के और विकास को सक्षम बनायेगी।

राष्ट्रीय प्रसारण नीति

एमआईबी ने तदनुसार ट्राई से इनपुट मांगा है। प्रसारण क्षेत्र समय-समय पर जारी विभिन्न लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति के लिए सेवा विशिष्ट अधिनियम, नियमों और दिशा निर्देश द्वारा शासित होता है। नीति लाइसेंस, निरीक्षण और अनुपालन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। यह पूर्व परामर्श 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति' तैयार करते समय विचार किये जाने वाले आवश्यक मुद्दों पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित है। अध्याय 2 टिप्पणियों के लिए नीति ढ़ांचे की संरचना और विचार हेतु व्यापक मुद्दों पर चर्चा करता है। पूर्व परामर्श के लिए मुद्दे अध्याय 3 में दिये गये हैं।

नीति ढ़ांचे की संरचना

मौजूदा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति – 2018 के अनुरूप 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति' की संभावित संरचना इस प्रकार हो सकती हैः

- प्रस्तावना
- दृष्टि
- अभियान
- उद्देश्य
  - लक्ष्य
  - रणनीतियां

प्रत्येक उद्देश्य के विरूद्ध, संभावित लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित रणनीतियों की पहचान की जानी चाहिए।

प्रसारणः

नीति में प्रसारण क्षेत्र को व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। इसे सामग्री प्रमाणन, सामग्री वितरण/डिलिवरी, समावेश, नयी तकनीकियों के शुरूआत और क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं की भूमिका से संबंधित सभी पहलुओं से निपटना चाहिए। इसे क्षमता निर्माण, कौशल भविष्य के संस्थागत ढ़ांचे आदि के

skilling, future institutional framework etc. An analysis of global best practices may also help in defining various aspects of the policy.

It is noted that at this stage it is important to identify the broad issues for consideration/ comments. While a comprehensive list of issues will be worked out after receipt of comments and stakeholder interactions, following broad contours may require to be inter-alia included/ addressed in the proposed policy:

A. OBJECTIVES

i. Ensuring affordable and universal reach of Broadcasting

ii. Establishing India as a global Content Hub:
   a. Creation of global content in India
   b. Promoting Indian content globally
   c. Establishing/ enhancing institutional capacity for content creation or processing.

iii. Developing state-of-the-art R&D infrastructure for broadcasting sector in India. Enabling Next Generation Technologies and Services through Investments, Innovation, Indigenous Manufacturing. Leveraging Artificial Intelligence, Big Data and cloud services technologies. Separate fund for R&D and establishment of Centre for Excellence for Broadcasting sector.

iv. Capacity Building and Promoting Skill Development for broadcasting Sector in India. Training/ Re-skilling human resources for building New Age Skill. Promoting Industry-Academia-Government partnerships to develop capacity and skills in line with future technological needs.

B. BROAD ISSUES FOR CONSIDERATION:

I. Public Service Broadcasting in India

a. Requirement, Relevance and Review
b. Support and Validation
c. Content Priority
d. Mandatory Sharing of television programmes
e. Enhance global reach

II. Policy and Regulation

Simplifying policy & regulatory framework and adopt coherent and modernized approach for different types of Broadcasting services:

पहलुओं पर उचित रूप से ध्यान देना होगा। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण भी नीति के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करने में मदद कर सकता है।

यह नोट किया गया है कि इस स्तर पर विचार/टिप्पणियों के लिए व्यापक मुद्दों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। जबकि टिप्पणियों और हितधारकों की प्राप्ति के बाद मुद्दों की एक विस्तृत सूची तैयार की जायेगी।

ए. उद्देश्य

i. प्रसारण की सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना

ii. भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करना
   ए. भारत में वैश्विक सामग्री का निर्माण
   बी. विश्वस्तर पर वैश्विक सामग्री को बढ़ावा देना
   सी. सामग्री निर्माण या प्रसंस्करण के लिए संस्थागत क्षमता स्थापित करना/बढ़ाना

iii. भारत में प्रसारण क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास बुनियादी ढ़ांचे का विकास करना। निवेश, नवाचार, स्वदेशी विनिर्माण के माध्यम से अगली पीढ़ी की तकनीकियों और सेवाओं को सक्षम करना। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और क्लाउड सेवा तकनीकियों का लाभ उठाना। अनुसंधान व विकास के लिए अलग निधि और प्रसारण क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

iv. भारत में प्रसारण क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना। नये युग के कौशल के निर्माण के लिए मानव संसाधनों को प्रशिक्षण/पुनःकुशल बनाना। भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता और कौशल विकसित करने के लिए उद्योग–अकादमिक–सरकारी साझेदारी को बढ़ावा देना।

बी. विचार के लिए व्यापक मुद्दे

I. भारत में सार्वजनिक प्रसारण सेवा

ए. आवश्यकता, प्रासंगिकता और समीक्षा
बी. समर्थन और सत्यापन
सी. सामग्री प्राथमिकता
डी. टेलीविजन कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से साझा करना
इ. वैश्विक पहुंच बढ़ायें

II. नीति और नियमन

नीति और नियमन ढ़ांचे को सरल बनाना और विभिन्न प्रकार की प्रसारण सेवाओं के लिए सुसंगत और आधुनिक दृष्टिकोण अपनानाः

- Satellite Broadcasting
- Terrestrial television Broadcasting
- Radio Broadcasting
- Print media
- Digital Media
  - An intermediary
  - Publisher of online curated content

III. Other Specific Issues for comments / suggestions:

i. **Promotion of Local Content:** Enhancing and incentivizing demonstration of India's rich and diverse cultural heritage through television programmes including festivals, music, dance, art, literature, food, education, sports and more for cultural preservation and expansion.

ii. **Piracy and Content Security:** Putting in place framework for systematic and legal redressal for piracy and copyright. To devise a multi-layer framework of security to address cyber attacks, hacking by vested interests and other security issues. To enable measures for location-free access and transmission of programmes for broadcasting sector using cloud storage.

iii. **Technology Innovation & Standardization:** To promote conducive environment for experimentation and innovations in the space of broadcasting technology. Establishing a broadcasting Standard Development Organization as an autonomous body with effective participation of the government, industry, R&D centres, service providers, and academia to drive consensus regarding standards to meet national requirements including security needs and interoperability to avoid ewaste.

iv. **Convergence:** Enabling convergence of IT, telecom and broadcasting. Establishing a unified policy framework and spectrum management regime for broadcast and broadband technologies. Restructuring of legal, licensing and regulatory frameworks for reaping the benefits of convergence.

v. **Separate Regulatory Authority for Broadcasting:** Currently Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) regulates the Television Broadcasting Sector. TRAI regulates both the Telecommunications and the

- सैटेलाइट प्रसारण
- टेरस्ट्रियल टेलीविजन प्रसारण
- रेडियो प्रसारण
- प्रिंट मीडिया
- डिजिटल मीडिया
  - एक मध्यस्थ
  - ऑनलाइन क्यूरेटेड सामाग्री का प्रकाशक

III. टिप्पणियों/सुझावों के लिए अन्य विशिष्ट मुद्देः

i. **स्थानीय सामग्री को बढ़ावा देनाः** सांस्कृतिक संरक्षण और विस्तार के लिए त्योहारों, संगीत, नृत्य, कला, साहित्य, भोजन, शिक्षा, खेल आदि सहित टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन को बढ़ावा और प्रोत्साहित करना।

ii. **पायरेसी और समग्री सुरक्षाः** पायरेसी और कॉपीराइट के लिए व्यवस्थित और कानूनी निवारण के लिए रूपरेखा तैयार करना। साइबर हमलों, निहित स्वार्थो द्वारा हैकिंग और अन्य सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा का एक बहुस्तरीय ढ़ांचा तैयार करना। क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करके प्रसारण क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों के स्थान, मुक्त पहुंच और प्रसारण के उपायों को सक्षम करना।

iii. **तकनीकी नवाचार और मानकीकरणः** प्रसारण तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोग और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना। ई-कचरे से बचने के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं और अंतरसंचालनीयता सहित राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानकों के संबंध में आम सहमति बनाने के लिए सरकार, उद्योग, अनुसंधान व विकास केंद्रों, सेवा प्रदाताओं और शिक्षा विदों की प्रभावी भागीदारी के साथ एक स्वायत्त निकाय के रूप में एक प्रसारण मानक विकास संगठन की स्थापना करना।

iv. **कन्वर्जसः** आईटी, दूरसंचार और प्रसारण के कन्वर्जस को सक्षम करना। प्रसारण और ब्रॉडबैंड तकनीकियों के लिए एक एकीकृत नीति ढ़ांचे और स्पेक्ट्रम प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना करना। कन्वर्जस का लाभ प्राप्त करने के लिए कानूनी, लाइसेंसिंग और नियामक ढ़ांचे का पुर्नगठन।

v. **प्रसारण के लिए अलग नियामक प्राधिकरणः** वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ट्राई दूरसंचार और प्रसारण दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। यह समझा जाता है कि हितधारकों ने

Broadcasting sector. It is understood that stakeholders have made submissions for having a specific regulator for Broadcasting sector. Accordingly, it is to explore the need for a separate regulator for broadcasting services and if yes, the suggested statutory and organisational structure of such regulator.

vi. **Robust grievance redressal mechanism:** Ensuring adherence to Program Code and Advertisement Code. Establishing effective institutional mechanisms to protect consumers' interests including Ombudsman and centralized web-based complaint redressal system.

vii. **Role of Broadcasting during Disaster:** Framing and enforcing standard operating procedures to be followed during disasters and natural calamities, including sectoral guidelines for disaster response and recovery. Broadcasting to be used as rapid dissemination of early warning disaster notifications.

viii. **Audience Measurement System:** Essential to ensure transparent and credible audience measurement system. Framing of guiding principles for viewership rating framework in India.

ix. **Social Goals**
- ❖ Assuring gender diversity in workplace
- ❖ Access to Broadcast Content by Persons with Disabilities
- ❖ Content for Children; educational content
- ❖ Content for tribals and other marginalized sections of society
- ❖ Need for promoting content through formation of specialized Societies (eg., Children's Film Society of India).

x. **Environmental Responsibility**
- ❖ Public health and Safety Standards
- ❖ Improve energy consumption efficiencies
- ❖ Promoting research and development of green sources of energy
- ❖ Sustainable development goals

xi. **Animation, Visual Effects, Gaming and Comics (AVGC) segment:** Develop, support and unleash the scope and reach of AVGC sector in India to become a torch bearer of "Create in India" and "Brand India". ■

प्रसारण क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट नियामक रखने के लिए आवेदन किया है। तदनुसार, प्रसारण सेवाओं के लिए एक अलग नियामक की आवश्यकताओं का पता लगाना है और यदि हां, तो ऐसे नियामक की सुझायी गयी वैधानिक और संगठनात्मक संरचना का पता लगाना है।

vi. **मजबूत शिकायत निवारण तंत्रः** प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड का पालन सुनिश्चित करना।
लोकपाल और केंद्रिकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली सहित उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित करना।

vii. **आपदा के दौरान प्रसारण की भूमिकाः** आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय दिशानिर्देश सहित आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करना और लागू करना। प्रसारण का उपयोग पूर्व चेतावनी आपदा सूचनाओं के तीव्र प्रसारक के रूप में किया जायेगा।

viii. **दर्शक माप प्रणालीः** पारदर्शी और विश्वनीय दर्शक माप प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक। भारत में दर्शक रेटिंग ढ़ांचे की के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण।

ix. **सामाजिक लक्ष्यः**
- ❖ कार्यस्थल में लैंगिक विविधता सुनिश्चित करना
- ❖ विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रसारण सामग्री तक पहुंच
- ❖ बच्चों के लिए सामग्री, शैक्षिक सामग्री
- ❖ आदिवासियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए सामग्री
- ❖ विशेष सोसाइटी (उदाहरण के लिए चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया) के गठन के माध्यम से सामग्री को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

x. **पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी**
- ❖ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक
- ❖ ऊर्जा खपत दक्षता में सुधार करें
- ❖ ऊर्जा के हरित स्रोतों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना
- ❖ सतत विकास लक्ष्य

xi. **एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) खंडः** 'क्रिएट इन इंडिया' और 'ब्रांड इंडिया' का मशाल वाहक बनने के लिए भारत में एवीजीसी सेक्टर के दायरे और पहुंच का विकास, समर्थन और विस्तार। ■